प्रेरणा

असाक्षर बंदियों के लिए साक्षरता कार्यक्रम

(2012–2013)

बजट

बजट

राशि के व्यय का मदवार विवरणी निम्नवत है :–

कारा का प्रकार			केन्द्र की सं०	प्रशिक्षक की सं०
1.	प्रति उप कारा अधिकतम साक्षरता केन्द्र–2	–	15 उपकारा x 2 = 30	15 x 1 = 15
2.	प्रति मंडल कारा अधिकतम साक्षरता केन्द्र–6	–	15 उपकारा x 6 = 90	31 x 2 = 62
3.	प्रति केन्द्रीय कारा अधिकतम साक्षरता केन्द्र–8	–	8 केन्द्रीय कारा x 8 = 64	8 x 2 = 16
			280	**93**

कुल साक्षरता केन्द्र – 280

कुल प्रशिक्षक – 93

4. प्रति साक्षरता केन्द्र पर न्यूनतम असाक्षर बंदियों की संख्या – 10
5. प्रति साक्षरता केन्द्र पर अधिकतम असाक्षर बंदियों की संख्या – 50
6. प्रति साक्षरता केन्द्र पर स्वयं सेवक – 2

बजट (प्रति साक्षरता केन्द्र)

1. पठन पाठन सामग्री – 50 शिक्षु x 100 रू० = 5000.00
2. स्वयं सेवक का मानदेय – 2 x 6 माह x 250 रू० = 3000.00
3. प्रोत्साहन पुरस्कार 2000 रू० की दर से – 2000 रू० = 2000.00

कुल (प्रति साक्षरता केन्द्र) व्यय राशि = 10000.00

कुल साक्षरता केन्द्र पर व्यय राशि – 280 x 10000.00 = 2800000.00

बजट (प्रति कारा)

1. प्रशिक्षक का मानदेय :–

उप कारा – 15 उप कारा x 1 प्रशिक्षु x 30 दिन x 200 रू० = 90000.00

मंडल कारा – 31 मंडल कारा x 2 प्रशिक्षु x 30 दिन x 200 रू० = 372000.00

केन्द्रीय कारा – 8 केन्द्रिय कारा x 2 प्रशिक्षु x 30 दिन x 200 रू० = 96000.00

= 558000.00

2. प्रशिक्षण प्रति कारा 200 रू० की दर से 2 दिनों का – 54 x 2 x 2 x 200 रू० = **43200.00**
3. राज्य के काराओं के संसीमित निरक्षर बंदियों/नवसाक्षरों के लिए काराओं में पुस्तकालय के पुस्तक क्रय हेतु राशि – 54 x 3000 रू० = **162000.00**
4. सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मनोरंजन के साधन के क्रय हेतु कारा 3000 रू० की दर से – 54 x 3000 रू० = **162000.00**
5. दस्तावेजीकरण 1000 रू० की दर से – 54 x 1000 रू० = **54000.00**
6. आकस्मिकता प्रति कारा – 54 x 1000 रू० = **54000.00**

कुल (प्रति कारा) व्यय राशि = 1033200.00

कुल कारा पर व्यय राशि = 1033200.00

पत्रांक–13/सा 02–05/2011.........../

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

जितेन्द्र प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

***** अनौपचारिक रूप से**

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।***

पटना, दिनांक–.../

विषय :– **जन शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में बिहार राज्य के सभी जिलों में स्थित केन्द्रीय कारा/मंडल कारा/उप कारा में संसीमित निरक्षर बन्दियों को साक्षर करने के लिए राज्य योजना से कुल–50,94,000/– (पचास लाख चौरानबे हजार) रूपये की लागत पर प्रेरणा कार्यक्रम की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में बिहार राज्य के सभी जिलों में स्थित केन्द्रीय कारा/मंडल कारा/उप कारा में प्रति केन्द्रीय कारा– 8 साक्षरता केन्द्र, प्रति मंडल कारा– 6 साक्षरता केन्द्र एवं प्रति उप कारा– 2 साक्षरता केन्द्र। कुल 54 कारा में 280 साक्षरता केन्द्रों के माध्यम से संसीमित निरक्षर बन्दियों को साक्षर करने के लिए राज्य योजना से कुल–50,94,000/– (पचास लाख चौरानबे हजार) रूपये की लागत पर ''प्रेरणा'' कार्यक्रम की स्वीकृति पदान करने की कृपा की है व्यय का सारांश (अनुलग्नक–I)।

2. इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए एक कार्य दल गठित होगा। जिसमें काराधीक्षक, प्रोबशन पदाधिकारी, तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) एवं उनके द्वारा मनोनोत साक्षरता कर्मी सदस्य रहेंगे। यह कार्य दल जिला कार्यक्रम पदाधिकरी (साक्षरता) के देख–रेख में कार्य करेगा और सीधे अपना प्रतिवेदन निदेशालय को समर्पित करेगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकरी (साक्षरता) द्वारा नामित साक्षरताकर्मी कार्यक्रम से संबंधित सामग्रियों को केन्द्र पर उपलब्ध कराने एवं आवश्यकतानुसार बाजार से खरीदने में काराधीक्षक को सहयोग करेंगे। प्रोबेशन पदाधिकारी कार्यक्रम की प्रगति के संबंध में अपना प्रतिवेदन सीधे कारा निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही राशि की उपयोगिता से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं भौतिक प्रतिवेदन काराधीक्षक सीधे जन शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे। इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए जन शिक्षा निदेशालय द्वारा कार्य दल के सदस्यों का राज्य स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

3. असाक्षर बन्दियों को स्वयं सेवकों द्वारा साक्षरता प्रदान की जायेगी जिनका चयन काराधीक्षक द्वारा जेल में बंद साक्षर बन्दियों के बीच से ही किया जायेगा। उक्त स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकरी (साक्षरता) द्वारा प्रशिक्षक उपलब्ध कराया जायेगा जिन्हें राज्य स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। नवसाक्षर/निरक्षरों को साक्षरता की निरन्तरता को बनाए रखने के लिए सामग्री की आपूर्ति का प्रावधान तथा नवसाक्षरों के प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार राशि का प्रावधान किया गया है। सरकार के विकासात्मक कार्यो तथा अन्य उपयोगी कार्यक्रमों की जानकारी डाक्यूमेन्ट्री फिल्म के माध्यम से भी दिखाने का प्रावधान किया गया है।

उक्त राशि के व्यय का विकलन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य योजना के तहत

उपबंधित 4500.00 लाख में से माँग संख्या–21 मुख्य शीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा उप मुख्य शीर्ष 04–पोढ़ शिक्षा, लघु शीर्ष 200–अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, उप शीर्ष 0102 प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत विषय शीर्ष–28–01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाए, विपत्र कोड संख्या–पी 220204200102, मांग संख्या–21 एवं योजना कोड संख्या–H.R.D-5406 से किया जायेगा।

4. वित्त विभाग के पत्रांक 96 दिनांक 03-01-2008 के आलोक में स्वीकृत है एवं पत्रांक–7355 वि0(2) दिनांक 05-10-2007 के आलोक में उक्त राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. उक्त स्वीकृत राशि निर्धारित बजट उपबन्ध एवं योजना अधिसीमा के अन्तर्गत एवं विभागीय प्रधान सचिव की संचिका संख्या–13/सा 02–05/11 के पृष्ठ संख्या–19/टि0 पर अनुमोदन प्राप्त है।

6. आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–13/सा 02–05/11 के पृष्ठ संख्या– 20/टि0 पर प्राप्त है।

7. स्वीकृत राशि निदेशक, जन शिक्षा, बिहार, पटना के निस्ताराधीन दी जाती है। राशि की निकासी सहायक निदेशक(लेखा), जन शिक्षा, बिहार, पटना द्वारा नया सचिवालय, विकास भवन कोषागार स की जायेगी तथा सचिव, बिहार राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। यह राशि सचिव, बिहार राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित जिलों के काराधीक्षक को उपलब्ध करायेंगे।

8. इसकी सूचना निदेशक, जन शिक्षा, बिहार, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक......................../ पटना, दिनांक..................................../

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन (नया सचिवालय), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक......................../ पटना, दिनांक..................................../

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बजट/योजना शाखा/शिक्षा विभाग का बजट/योजना शाखा /निदेशक, जन शिक्षा, बिहार, पटना/कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सभी कारा अधीक्षक, बिहार/उप निदेशक, लेखा, जन शिक्षा/उप निदेशक, (राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण) जन शिक्षा, बिहार पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकरी (साक्षरता)/सचिव, जिला लोक शिक्षा समिति एवं योजना शाखा, जन शिक्षा को अतिरिक्त दस प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

(अनुलग्नक – I)

राशि के व्यय का मदवार विवरणी निम्नवत है :–

I. काराओं में प्रति साक्षरता केन्द्र पर होने वाले व्यय

			केन्द्र की सं0	प्रशिक्षक की सं0
1.	प्रति उप कारा साक्षरता केन्द्र 2	– 15 उप कारा X 2	– 30	15 X 1 = 15
2.	प्रति मंडल कारा साक्षरता केन्द्र 6	– 31 मंडल कारा X 6	– 186	31 X 2 = 62
3.	प्रति केन्द्रीय कारा साक्षरता केन्द्र 8	– 8 केन्द्रीय कारा X 8	– 64	8 X 2 = 16
			280	**93**

कुल साक्षरता केन्द्र – 280

कुल प्रशिक्षक – 93

4.	प्रति साक्षरता केन्द्र पर अधिकतम असाक्षर बन्दियों की संख्या	–	50
5.	प्रति साक्षरता केन्द्र पर स्वयं सेवक	–	2

बजट (प्रति साक्षरता केन्द्र)

6.	पठन–पाठन सामग्री	–	50 शिक्षु X 100 रू0	–	5000.00
7.	स्वयं सेवक का मानदेय	–	2 X 6 माह X 250 रू0	–	3000.00
8.	मूल्यांकन 500/– की दर से	–	500 रू0	–	500.00
9.	प्रोत्साहन पुरस्कार 2000/– की दर से	–	2000 रू0	–	2000.00
			कुल (प्रति साक्षरता केन्द्र) व्यय राशि	–	**10500.00**

कुल साक्षरता केन्द्र – 280 X 10500.00 = 29,40,000.00

II. राज्य स्तर पर पदाधिकारियों का एक दिवसीय उन्नमुखीकरण (54 काराधीक्षक, 54 प्रोवेशन पदाधिकारी, 38 मुख्य कार्यक्रम समन्वयक, 38 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, 20 आयोजक, कुल 204 प्रतिभागी) **नोट– 4 (चार) समुह में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयाजन**

1.	भोजन एवं चाय	–	204 X 200 रू0	–	40800.00
2.	पेन, पैड, फोल्डर एवं कार्यक्रम की रूपरेखा	–	204 X 100 रू0	–	20400.00
3.	अकास्मिकता			–	10000.00
	कुल योग			–	**71,200.00**

III. प्रशिक्षक का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर आवासीय (दो दिवसीय)
(93 + 6 श्रोत व्यक्ति + 14 आयाजक = 113)

1.	भोजन एवं चाय	–	113 प्रशिक्षक X 2 दिन X400रू0	–	90400.00
2.	पेन, पैड, प्राईमर एवं कार्यक्रम के रूप रेखा की प्रति इत्यादि	–	93 प्रशिक्षक x 100रू0	–	9300.00
3.	किट बैग	–	93 बैग x 300रू0	–	27900.00
4.	यात्रा व्यय	–	93 प्रशिक्षक x 500 रू0	–	46500.00
5.	आवासन भाड़ा	–	2 दिन x 37500 रू0	–	75000.00
6.	श्रोत व्यक्तियों का मानदेय	–	6 x 500 रू0	–	3000.00
7.	आकस्मिकता	–			19900.00
	कुल योग	–			**2,72,000.00**

IV. प्रशिक्षकों की द्विमासिक बैठक राज्य स्तर पर (93 + 14 आयोजक = 107)

1.	भोजन एवं चाय	–	107 X 3 बार X200 रू0 –	64200.00
2.	पेन एवं पैड	–	93 X 3 बार X 50 रू0 –	13950.00
3.	यात्रा व्यय	–	93 प्रशिक्षकX 3 बार X 500रू0 –	139500.00
4.	आकस्मिकता	–		9950.00
	कुल योग	–		**2,27,600.00**
V.	प्रशिक्षक का मानदेय	–	93 X 30 दिन X 200 रू0 –	**558000.00**
VI.	प्रशिक्षण प्रति कारा 200 रू0 की दर से 2 स्वयं सेवक का 2 दिनों का	–	54 X 2 X 2 X 200 रू0 –	**43200.00**
VII.	राज्य के काराओं के संसीमित निरक्षर बंदियो/नवसाक्षरों के लिए काराओं में पुस्तकालय के पुस्तक क्रय हेतु राशि	–	54 X 3000 रू0 –	**1,62,000.00**
VIII.	सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मनोरंजन के साधन के क्रय हेतु प्रति कारा 3000/– की दर से	–	54 X 3000 रू0 –	**1,62,000.00**
IX.	दस्तावेजीकरण प्रति कारा 1000/– की दर से	–	54 X 1000 रू0 –	**54,000.00**
X.	आकस्मिकता प्रति कारा	–	54 X 1000 रू0 –	**54,000.00**
XI.	राज्य स्तर से अनुश्रवण		–	**2,50,000.00**
XII.	राज्य स्तर पर दस्तावेजीकरण		–	**2,00,000.00**
XIII.	राज्य स्तर पर आकस्मिकता		–	1,**00,000.00**

कुल योग– I+II+III+IV+V+VI+ VII + VIII + IX + X + XI+ XII+XIII – **50,94,000.00**

(पचास लाख चौरानबे हजार रूपये मात्र।)

संयुक्त सचिव